संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्श्व–भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945[1]

संयुक्त प्राप्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1945

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1965

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000

द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1969 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1969) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में राज्यपाल मूल रूप से अंगेजी भाषा में पारित 'द यूनाइटेड प्राविन्सेज रोड साइड लैण्ड कंट्रोल एक्ट 1945 (संयुक्त प्राप्त अधिनियम संख्या 10, 1945) का हिन्दी भाषा में अनुवाद एतद्द्वारा प्रकाशित करते है।

अधिनियम

यह इष्टकार है कि संयुक्त प्रान्त में सड़क–पार्श्व–भूमि के उपयोग का विनियमन किया जाय; **प्रस्तावना**

और, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 93 के अधीन प्रख्यापित दिनांक 3 नवम्बर, 1939 की उदघोषणा द्वारा संयुक्त प्रान्त के गवर्नर ने पूर्वोक्त ऐक्ट द्वारा या उसके अधीन प्रान्तीय विधान मण्डल में निहित समस्त शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लिया है;

और उक्त उद्घोषणा अब भी प्रचलित है;

अतएव, अब, गवर्नर पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित अधिनियम बनाते हैं;

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्श्व–भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 कहलायेगा। **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ**

(2) इसका विस्तार कैन्टोनमेन्ट क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक** से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नियत करे।

2–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में,– **निर्वचन**

(1) ''कृषि'' के अन्तर्गत उद्यान कृषि तथा फलोद्यानों का रोपण ओर उनकी देखरेख भी है;

(2) ''भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, झोपड़ी, सायबान या अन्य छतदार संरचना से, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से निर्मित हो, तथा उसके प्रत्येक भाग से है, और इसके अन्तर्गत कोई दीवाल या पक्का चबूतरा या पक्की खाई या

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 01 सितम्बर, 1948 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

** यह अधिनियम 15 अप्रैल, 1946 को प्रचलित हुआ, गजट दिनांक 6 अप्रैल, 1946 के विज्ञप्ति संख्या 705–सी/तेईस–39–सी–44, दिनांक 2 अप्रैल, 1946 देखिये।

नाली भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही अन्य सुबाह्य और केवल अस्थायी आश्रय स्थल नहीं है;

(3) ''कलेक्टर'' के अतर्गत कोई ऐसा प्राधिकारी भी है जिसे इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के समस्त या किन्ही कृत्यों को करने के लिये राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नियुक्त करें;

(4) ''उपासना–स्थान'' के अन्तर्गत कोई मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, इमामबाड़ा, दरगाह, कर्बला, तकिया, ईदगाह, समाधि, मठ, सती का स्थान या गुरूद्वारा भी है;

(5) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है; और

1[(6) ''सड़क'' का तात्पर्य राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघारित पक्की सड़क या मार्ग पर पक्की सड़क बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सीमांकित मार्ग से है और इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ भी है।**]**

नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा

3–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी सड़क की मध्य रेखा से चार सौ चालीस गज के भीतर की किसी भी भूमि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर सकेगी:

2[प्रतिबन्ध यह है कि राष्ट्रीय राजपथ की दशा में, सड़क को ही नियंत्रित क्षेत्र नहीं समझा जायगा।]

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा करने से कम से कम तीन मास पूर्व सरकारी गजट में तथा अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में मुद्रित किए जाने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायेगी जिसमें यह कथित होगा कि वह ऐसी घोषणा करने की प्रस्थापना करती है और उसमें उस भूमि की सीमायें विनिर्दिष्ट होंगी जिसके सम्बन्ध में ऐसी घोषणा करने की प्रस्थापना है और प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति की या उसके सार की प्रतियां कलेक्टर द्वारा अपने कार्यालय में तथा उक्त सीमाओं के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हे वह आवश्यक समझें, ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, प्रकाशित की जायेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो उक्त सीमाओं में सम्मिलित किसी भूमि में हितबद्ध हो, घोषणा किये जाने या उक्त सीमाओं के भीतर अपनी भूमि या उसका कोई भाग सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, उस अंतिम दिनांक से जबकिं कलेक्टर द्वारा ऐसी विज्ञप्ति की प्रति प्रकाशित की जाय, तीस दिन के अवसान के पूर्व किसी भी समय, आपत्ति कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक आपत्ति कलेक्टर को लिखित रूप में की जायेगी, और कलेक्टर इस प्रकार आपत्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या तो स्यवं उसको अथवा किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का, अवसर देगा तथा ऐसी समस्त आपत्तियों की सुनवाई किये जाने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच के, यदि कोई हो, पश्चात जिसे

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 6, 1965 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1965 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।

वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों का अभिलेख ऐसी रिपोर्ट सहित जिसमें आपत्यिों के सम्बन्ध में उसकी सिफारिशें दी गई हों, भेजेगा।

(5) यदि आपत्तियों के प्रस्तुत किये जाने के लिए उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के अवसान के पूर्व कोई भी आपत्ति न की गई हो तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने की कार्यवाही तुरन्त कर सकेगी। यदि ऐसी कोई आपत्तियां की गई हो तो राज्य सरकार उपधारा (4) में निर्दिष्ट अभिलेखा तथा रिपोर्ट पर विचार करेगी और या तो–

(क) उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने की प्रस्थापना का परित्याग कर सकेगी, या

(ख) उपघारा (2) के अधीन विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सम्मिलित सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा कर सकेगी।

(6) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भूमि में हितबद्ध उस दशा में समझा जायगा जब वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खण्ड (ख) में, उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यथापरिभाषित "हितबद्ध व्यक्ति" हो या जहॉ कि वह भूमि ऐसी भूमि हो जो किसी उपासना–स्थान, मकबरा, छतरी, कब्रिस्तान, कब्र या मरघट के या उसके प्रयोजनों के लिए अधिभोग में हो तो उस दशा में समझा जायेगा जब वह ऐसे मत का अनुयायी हो जिससे वह भवन सम्बन्धित हो।

[1][(7) सरकारी गजट में प्रकाशित कोई विज्ञप्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसी विज्ञप्ति में दी गई घोषणा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक रूप से की गई हे, और जब तक कि ऐसी घोषणा वापस न ली जाय, तब तक वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में वह है एक नियंत्रित क्षेत्र है।]

[2][(8) ऐसी सड़क के सम्बन्ध में, जो बाद में नेशनल हाईवेज एक्ट, 1956 के अधीन राष्ट्रीय राजपथ हो जाय, इस धारा के अधीन जारी की गई कोई विज्ञप्ति अथवा की गई कोई घोषणा, सड़क के इस प्रकार राष्ट्रीय राजपथ हो जाने पर भी, वैध बनी रहेगी तथा प्रचलित रहेगी।]

नियंत्रित क्षेत्रो के नक्शों का कतिपय कार्यालयों में जमा किया जाना

4–(1) कलेक्टर अपने कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों में जिन्हें वह आवश्यक समझे, नक्शे जमा करेगा जिनमें ऐसी समस्त भूमिया दिखाई गई होंगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र घोषित की गयी हों, और जिनमें ऐसे किसी भी नियंत्रित क्षेत्र में भूमि पर लागू होने वाले निर्बन्धनों का स्वरूप दिया गया हो।

(2) इस प्रकार जमा किये गये नक्शे सभी युक्तियुक्त समयों पर जनता को निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1975 की धारा 2 के द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1965 की धारा 3 के द्वारा बढ़ाया गया।

किसी नियंत्रित क्षेत्र में भवन आदि पर निर्बन्धन

[1][**5**–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) कोई भी व्यक्ति किसी नियंत्रित क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या कोई उत्खनन या उसका विस्तार नहीं करेगा; और

(ख) कोई भी व्यक्ति कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, किसी नियंत्रित क्षेत्र में, सड़क तक पहुंचने के लिये किसी साधन का अभिन्यास नहीं करेगा]

निर्माण आदि करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन तथा ऐसी अनुज्ञा का अनुदत्त करने से इन्कार किया जाना

6–(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 5 में निर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने का इच्छुक हो, कलेक्टर को लिखित आवेदन ऐसे प्रपत्र में देगा और उसमें उस [2][****] पहुंचने के साधन के, जिसमें आवेदन सम्बन्ध में ऐसी जानकारी दी जायगी जो विहित की जाए।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, ऐसी जांच के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा या तो–

(क) ऐसी शर्तो के, यदि कोई हों, अधीन जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अनुज्ञा अनुदत्त करेगा, या

(ख) ऐसी अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करेगा।

(3) जब कलेक्टर उपधारा (2) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अनुज्ञा शर्तो के अधीन अनुदत्त करे या उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करे तो अधिरोपित शर्ते या इन्कार करने के आधार ऐसे होंगे जो, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त हों।

(4) [3][*****]

(5) [3][*****]

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर को आवेदन दिये जाने के पश्चात तीन मास की अवधि का अवसान हो जाने पर कलेक्टर द्वारा कोई लिखित आदेश न दिया गया हो [4][आवेदक कलेक्टर को लिखित नोटिस दे सकता है और यदि ऐसी नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कोई आदेश न दिया जाय] तो यह समझा जायेगा कि ऐसी अनुज्ञा कोई शर्तें अधिरोपित किये बिना ही दे दी गयी है।

(7) कलेक्टर एक रजिस्टर रखेगा जिसमें इस धारा के अधीन उसके द्वारा दी गई समस्त अनुज्ञाओं की पर्याप्त विशिष्टियां दी जायेगी और वह रजिस्टर समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा तथा ऐसे व्यक्ति उससे उद्धरण लेने के हकदार होंगे।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 3(क) के द्वारा निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 3(ख) के द्वारा निकाला गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 3(ग) के द्वारा बढ़ाया गया।

अपील का अधिकार

7–(1) कोई व्यक्ति जो कलेक्टर के धारा 6 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत शर्तों के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त करने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने के आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(2) अपील पर राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

प्रतिकर

8–(1) [1][उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी व्यक्ति अपील का अधिकार किसी ऐसी क्षति. नुकसान या हानि के लिए जो–

(क) धारा 5 के खण्ड (क) द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन के परिणामस्वरूप, या

(ख) किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन का अभिन्यास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले या ऐसी अनुज्ञा अनुदत्त कर देने किन्तु उसके साथ शर्तें अधिरोपित करने वाले किसी आदेश द्वारा,

हुई हो या हुई अभिकथित हो, इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले में, नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष के भीतर (ख) उपधारा (1) के खण्ड

(ख) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 7 के अधीन राज्य सरकार के आदेश के दिनांक से जहां किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन का अभिन्यास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने का आदेश दिया गया हो और धारा 7 के अधीन अपील के अधिकार का प्रयोग किया गया हो, तीन मास के भीतर,

राज्य सरकार को इस आधार पर प्रतिकर का दावा प्रस्तुत कर सकता है कि सम्बन्धित भूमि में उसके हित पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ा है।]

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई दावा प्राप्त होने पर राज्य सरकार या तो सम्बन्धित भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित करने की कार्यवाही करेगी या उस दावे को किसी ऐसे अधिकारी की निस्तारण के लिये अन्तरित करेगी जो उक्त अधिनियम के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करता हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जब राज्य सरकार भूमि अर्जित करने का विनिश्चय करे तो (1) किसी उपासना स्थान, मकबरा, छतरी, कब्रिस्तान, कब्र या मरघट के अधिभोग में की भूमि को सम्मिलित करना आवश्यक न होगा और (2) दावेदार अर्जक प्राधिकारी से उस व्यय की रकम को पाने का हकदार होगा जो उसने इस धारा के अधीन प्रतिकर पाने के लिये अपना दावा तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उचित रूप से किया हो, और करार के अभाव में ऐसी रकम भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन की कार्यवाही में भूमि का मूल्य विनिश्चित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी। **उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1894**

(4) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह किसी दावे का निपटारा पारस्परिक करार द्वारा किया जाना प्रवारित करती है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 3 के द्वारा जोड़ा गया।

अनिवार्य अर्जन

9–यदि राज्य सरकार भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित करने का विनिश्चय करती है तो उस अधिनियम मे किसी बात के होते हुए भी.–

(1) उस अधिनियम की धारा 5–क के अधीन कार्यवाही अपेक्षित न होगी ;

(2) उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचना, दावा संस्थित किये जाने के दिनांक से छः मास के भीतर प्रकाशित की जायेगी और ऐसा न होने की दशा में दावा निस्तारण के लिये उस अधिकारी को अन्तरित कर दिया जायगा जो उस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करता हो;

(3) भूमि का बाजार मूल्य भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया जायगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में उपदर्शित रूप से परिष्कृत समझा जायेगा।

प्रतिकर की रकम किस प्रकार निर्धारित की जायेगी

10–(1) जब कोई दावा धारा 8 या धारा 9 के अधीन निस्तारण के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी को अन्तरित किया जाय तो ऐसा अधिकारी दावेदार को देय प्रतिकर की रकम यदि कोई हो, अवधारित करते हुए अधिनिर्णय देगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम किसी दशा में निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी–

(क) वह रकम जो धारा 9 के अधीन भूमि अर्जित किये जाने की दशा में देय होती, या

(ख) [1][भूमि या धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन अधिरोपित किये। गये निर्बन्धनों के सम्बन्ध में किसी सड़क तक पहुंचने के लिए किसी साधन के अभिन्यास] की अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले आदेश द्वारा उस भूमि के उपयोग और विकास पर वास्तव में अधिरोपित किये गये निर्बन्धनों को ध्यान में रखते हुए भूमि की वर्तमान दशा में उसके बाजार मूल्य तथा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के जिसके अनुसरण में [1][सम्बन्धित क्षेत्र] नियत्रित क्षेत्र घोषित किया गया हो, ठीक पूर्व के बाजार मूल्य का अन्तर और उप–धारा (1) के अधीन कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जायेगा

(1) जब तक कि दावेदार अधिनिर्णय देने वाले अधिकारी का यह समाधान न कर दे कि [2][इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों से सम्बन्धित भूमि में उसका हित क्षतिकारक रूप से प्रभावित हुआ है], अथवा

(2) यदि और जहां तक कि यह भूमि किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रवृत्त सारत समान ऐसे निर्बन्धनों के अधीन हो जो इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धनों के अधिरोपित किये जाने के दिनांक को इस प्रकार प्रवृत्त थे अथवा

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन प्रवृत्त समान निर्बन्धनों या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रवृत्त सारत समान निर्बन्धनों के सम्बन्ध में दावेदार को या हित में

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

दावेदार के किसी पूर्वाधिकारी को भूमि के लिये प्रतिकर का पहिले ही भुगतान किया जा चुका हो।

(4) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के भाग 3 के उपबन्ध, जैसे कि वे धारा 9 के खण्ड (3) तथा इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची द्वारा परिष्कृत किये गये हैं तथा उस अधिनियम के भाग 4, 5 और 8 के उपबन्ध, यथाशक्य उपधारा (1) के अधीन दिये गये अधिनिर्णय पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उक्त अधिनियम के अधीन दिया गया कोई अधिनिर्णय हो ।

अन्य अधिनियमितियों के लिये व्यावृत्ति

11–इस अधिनियम की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अन्य अधिनियमिति के अधीन भूमि अर्जित करने की या भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बन्धन अधिरोपित करने की किसी प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

लाइसेंस के बिना किसी भूमि का ईट तैयार करने के क्षेत्र आदि के रूप में उपयोग करने का प्रतिषेध

12–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए लाइसेंस के भी, किसी नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि का उपयोग लकड़ी के कोयले के भट्ठे आंबे या चूने के भट्ठे के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायगा और किसी नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि का उपयोग ईट तैयार करने के क्षेत्र या ईट के भट्ठे के प्रयोजनों के लिये, कलेक्टर से प्राप्त किसी लाइसेंस, जो प्रतिवर्ष नवीकरणीय होगा, के अधीन और उसकी शर्तों के अनुसार ही किया जायगा, अन्यथा नहीं।

(2) राज्य सरकार ऐसे लाइसेंसों को अनुदत्त करने तथा उनके नवीकरण के लिये ऐसी फीस ले सकेगी और उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगी जो विहित की जायें। (3) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी क्षति, नुकसान या हानि के लिये जो उप–धारा (1) के अधीन लाइसेंस देने से इन्कार किये जाने के कारण हुई हो या हुई अभिकथित हो, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार न होगा।

अपराध और शास्तियां

13–(1) कोई व्यक्ति जो–

(क) धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके या धारा 6 अथवा धारा 7 के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिरोपित किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके किसी भवन का परिनिर्माण अथवा पुनः परिनिर्माण करेगा या कोई उत्खनन करेगा या उसका विस्तार करेगा या किसी सड़क तक पहुंचने के लिये किसी साधन का अभिन्यास करेगा, या

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी भूमि का प्रयोग करेगा, [1][वह जुर्माने से जो, प्रथम दोषसिद्धि पर पांच सौ रुपए] तक हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दोष–सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके बारे में यह साबित हो जाय कि वह उसके दौरान उल्लंघन करता रहा है,

पांच सौ रूपये जो अधिकतम पचास हजार रूपये तक, हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उक्त उप–धारा के उपबन्धों को भंग किया हो, किसी भवन या भूमि को, जिसके सम्बन्ध में उक्त उप–धारा में यथा वर्णित कोई उल्लंघन किया गया हो, यथास्थिति, उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित करने का या उसे उन शर्तो के समनुरूप लाने का, जिनका अतिलंघन किया गया हो, आदेश दे सकेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आदेश के तीन मास

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

के भीतर ऐसा न करे तो वह स्वयं ऐसी कार्रवाई कर सकेगा कि जो उक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हो, तथा ऐसी कार्रवाई का व्यय ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

अपराधों का विचारण

14–प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों के लिए परित्राण

15–कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो अथवा की जाने के लिये आशयित हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

अपवाद

16–इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी–

(क) राजस्व अभिलेखों में यथा प्रविष्ट तथा सीमांकित किसी ऐसी भूमि पर जो किसी गांव के बस्ती वाले स्थल में सम्मिलित हो या किसी नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में के स्थलों पर ऐसे भवनों का परिनिर्माण अथवा पुनः परिनिर्माण जो इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक को निर्मित हो चुके हॉ

(ख) किसी ऐसी भूमि पर जो राज्य सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के समय किसी उपासना स्थान या मकबरा, छतरी, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट के या उनके प्रयोजनों के लिये अधिभोग में हो, किसी उपासना स्थान या मकबरा, छतरी, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट का या किसी उपासना स्थान या मकबरा, छतरी, कब्र, कब्रिस्तान या मरघट को घेरने वाली किसी दीवाल का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण ;

(ग) कृषि सम्बन्धी संक्रियाओं के (जिनके अन्तर्गत कुये भी है) सामान्य अनुक्रम में किये गये उत्खननय और

(घ) किसी कच्ची सड़क का निर्माण जो केवल कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि तक पहुंच करने के लिए आशयित हो ।

नियम बनाने की शक्ति

17–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात

(क) वह प्रपत्र जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन दिये जायेगे तथा ऐसे आवेदनों में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

(ख) वे सिद्धान्त जिनके अनुसार धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन कलेक्टर द्वारा सामान्यतया स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जायेंगेय (ग) सड़कों तक पहुंचने के साधनों का अभिन्यास करने का विनियमन और

(घ) धारा 12 के अधीन लाइसेंसों के अनुवृत्त किये जाने तथा उनके नवीकरण के लिये ली जाने वाली फीस तथा ऐसे लाइसेंसों को शासित करने वाली शर्ते

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1894

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे तथा यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज एक्ट, 1904 की धारा 23 के खण्ड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाने वाला दिनांक उस दिनांक से दो मास से कम का न होगा जबकि प्रस्थापित नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया हो।

अनुसूची

(धारा 9 (3) में निर्दिष्ट)

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिसे एतत्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) में परिष्कार। **उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1894**

1–उक्त अधिनियम की धारा 15 में शब्द तथा अंक ''और 24'' के स्थान पर अंक, शब्द तथा अक्षर ‟24 और 24 क‟ जिनके ठीक पूर्व कामा लगा होगा, प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे। **धारा 15 का संशोधन**

2–उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (3) में अंक ''24'' के पश्चात शब्द, अंक तथा अक्षर ''या धारा 24–क'' रखे गये समझे जायेंगे। **धारा 17 का संशोधन**

3–(1) उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रथम तथा षष्टम खण्ड में शब्द ''धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन'' तथा शब्द ''धारा 6 के अधीन घोषणा के प्रकाशन'' के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे, अर्थात– **धारा 23 का संशोधन**

''संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्शव भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन'' **उ० प्र० अधिनियम, 1945**

(2) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्त में निम्नलिखित बढाया गया समझा जायगा, अर्थात–

(3) इस धारा की उप धारा (1) के प्रथम खण्ड के प्रयोजनों के लिये–

(क) भूमि का बाजार मूल्य उस उपयोग के अनुसार बाजार मूल्य होगा जो भूमि का उस तारीख को किया गया हो जिसके प्रति निर्देश से उक्त खण्ड के अधीन बाजार मूल्य अवधारित किया जाना है;

(ख) यदि यह दर्शित किया जाय कि भूमि के स्वामी ने ऐसी तारीख के पूर्व उसका और अधिक लाभप्रद उपयोग उप्राप्त करने के लिये सद्‌भावपूर्वक सक्रिय कदम उठाये थे और व्यय किया था, तो उसकी वास्तविक हानि पर आधारित उसे और प्रतिकर संदत्त किया जा सकेगा ;

[1][(ग) (संयुक्त प्रान्त सडक पार्श्व भूमि नियन्त्रण अधिनियम, 1945 की धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी परिनिर्माण, पुनः परिनिर्माण या परिवर्द्धन या परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हुई वृद्धि का ध्यान नहीं रखा जायगा]

(घ) यदि पूर्वोक्त तारीख के पूर्व के दो वर्ष के भीतर स्वामी या हित में उसके पूर्वाधिकारी द्वारा कोई अभिवृद्धि किये जाने से बाजार मूल्य में वृद्धि हो गई हो, तो ऐसी वृद्धि का ध्यान नहीं रखा जायेगा जब तक कि यह साबित न हो जाय कि

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2000 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

इस प्रकार की गई अभिवृद्धि सद्भावपूर्वक की गई थी और इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के लिये की जा रही कार्यवाहियों को आसन्न मान कर नहीं की गई थी ;

(ङ) यदि भूमि को किसी ऐसे उपयोग में जो अवैध हो या लोकनीति के प्रतिकूल हो, लाने के परिणामस्वरूप उसका बाजार मूल्य विशेष रूप से ऊँचा हो, तो उस उपयोग का ध्यान नहीं रखा जायेगा और भूमि का बाजार मूल्य वह बाजार मूल्य समझा जायेगा जो उसे मामूली उपयोगों में लाने की दशा में होता ; और

(च) जबकि भूमि या निर्माण के स्वामी ने संयुक्त प्रान्त सड़क–पार्श्व–भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 के पारित होने के पश्चात और उस तारीख के, जिसके प्रति निर्देश से बाजार मूल्य अवधारित किया जाना हो, पूर्ववर्ती दो वर्षों के भीतर यूनाइटेड प्राविसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 158 के अधीन भूमि या निर्माण के भाटक की विवरणी दी हो तो तब के सिवाय जब न्यायालय अन्यथा निदेश दे, भूमि या निर्माण का भाटक किसी भी दशा में उस भाटक से अधिक न समझा जायगा जो इस प्रकार दी गई नवीनतम विवरणी में दर्शित किया गया हो, और बाजार मूल्य ऐसे भाटक के आधार पर अवधारित किया जा सकेगा ;

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1945

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1916

परन्तु जहां कि भूमि या निर्माण में कोई परिवर्द्धन या अभिवृद्धि ऐसी नवीनतम विवरणी की तारीख के पश्चात, और उस तारीख के पूर्व जिसके प्रति निर्देश से बाजार मूल्य अवधारित किया जाना है, की गई हो तो न्यायालय ऐसे परिवर्द्धन या अभिवृद्धि के कारण भूमि के किरायार्थ मूल्य में हुई किसी वृद्धि को विचार में ले सकेगा।''

धारा 24 का संशोधन

4–उक्त अधिनियम की धारा 24 के सप्तम खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायगा, अर्थात–

''सप्तम, अर्जित भूमि के परिवर्द्धन या अभिवृद्धि पर कोई ऐसी लागत जो उस तारीख के पश्चात उपगत की गयी हो जिसके प्रति निर्देश से बाजार मूल्य अवधारित किया जाना है, जब तक कि ऐसे परिवर्द्धन या ऐसी अभिवृद्धि किसी निर्माण को मरम्मत करके उचित अवस्था में बनाये रखने के लिए आवश्यक न हो।''

नयी धारा 24–क

5–उक्त अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जायगा, अर्थात :–

प्रतिकर अवधारित करने के लिए अतिरिक्त उपबंध

''24–क उस प्रतिकर की रकम अवधारित करने में जो इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि के लिये अधिनिर्णीत किया जाना है, न्यायालय निम्नलिखित उपबन्धों का भी ध्यान रखेगा, अर्थात–

(1) जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि में कोई हित उस तारीख के पश्चात् अर्जित किया गया हो, जिसके प्रति निर्देश से बाजार मूल्य अवधारित किया जाना है, तो ऐसे हित के मूल्य का अलग से कोई प्राक्कलन इस प्रकार नहीं किया जायेगा कि ऐसी भूमि के लिये संदत्त किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि में वृद्धि हो जाय

(2) यदि न्यायालय की राय में कोई निर्माण स्वच्छता के दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण अवस्था में हो, या मरम्मत कराकर युक्तियुक्त रूप से अच्छी अवस्था में न रखा गया हो तो ऐसे निर्माण के लिये प्रतिकर की रकम उस धनराशि से जिसके समतुल्य मूल्य का वह निर्माण न्यायालय के विचार से उस दशा में होगा जब उसे यथास्थिति, स्वच्छता की दशा में लाया जाये या मरम्मत कराकर युक्तियुक्त रूप से अच्छी अवस्था में लाया जाये, जिसमें से उसे ऐसी दशा या अवस्था में लाने का प्राक्कलित खर्च घटा दिया जायेगा, अधिक न होगी।

(3) यदि न्यायालय की राय में कोई ऐसा निर्माण जो मानव वासस्थान के लिए उपयोग में लाया जाता हो या उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित या संभाव्य हो, युक्तियुक्त रूप से मानव वासस्थान के लिये ठीक किये जाने के योग्य न हो, तो ऐसे निर्माण के लिए प्रतिकर की रकम निर्माण की सामग्री के मूल्य से जिसमें निर्माण को ढहाने का खर्चा घटा दिया जायगा, अधिक न होगी।''

---

*उद्देश्य और कारण

नगरों के चारों ओर मार्गों के समीप भवन निर्मित करने की प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मार्गों पर अतिशय भीड़भाड़ हो रही है। घनी जनसंख्या वाले केन्द्रों से बाहर निकलने के लिये यातायात के मार्गों से परिचालन योग्य करने हेतु आशयित मार्ग, स्वयं अतिशय भीड़–भाड़ युक्त हो जाते हैं। मुख्य मार्गों के समीपस्थ नगरीय क्षेत्र, भवन स्थलों के रूप में अत्यन्त आकर्षक होते हैं ; ऐसे क्षेत्रों के भवन अध्यासी, नगरपालिका कराधान भार को साझा किये बिना अथवा उत्तम स्वच्छता और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित नियंत्रण के अध्याधीन नगरीय जीवन के अनेक सुख–सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। सम्प्रति उक्त विस्तार को नियंत्रित करने की कोई विधिमान्य शक्ति नहीं है। वर्ष 1938 में संयुक्त प्रान्त राजमार्ग विधेयक तैयार किया गया था। जिसके एक अध्याय में **''रिबन विकास'' विनियमन का उल्लेख किया गया है तथापि उक्त विधेयक तत्कालीन सरकार द्वारा कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अधिनियमित नहीं किया जा सका। दिसम्बर, 1943 में भारत में युद्धोत्तर सड़क विकास पर चर्चा करने के लिये नागपुर में आयोजित मुख्य अभियंता सम्मेलन में ''रिबन विकास'' की रोकथाम के लिये शीघ्र विधायन अधिनियमित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ''रिबन विकास'' की समस्या दिन प्रतिदिन अपेक्षाकृत और अधिक गम्भीर होती जा रही है और सम्प्रति अनुध्यात युद्धोत्तर सड़क संचार सुधार वृहद् कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ ही साथ यह भी वांछनीय है कि उक्त बुराई को बिना किसी अग्रतर विलम्ब के दूर किया जाय।

(2) उक्त विधेयक में उत्खनन तथा सम्पर्क मार्ग विनियमन और लाइसेंसों के माध्यम से ईंट निर्माण क्षेत्र तथा भट्ठा भू–उपयोग नियंत्रण हेतु उपबन्ध सम्मिलित है। ईंट निर्माण क्षेत्र में अवनियमित उत्खनन करने के फलस्वरूप न केवल मलेरिया वाहक मच्छर प्रजनन स्थल सृजित हो जाते हैं वरन् भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ व्ययसाध्य समतलीयकरण कार्य किये बिना भावी भूमि का विकास असंभव हो जाता है।

(3) यह विधेयक छावनी क्षेत्रों के सिवाय संयुक्त प्रान्त के मुख्य मार्गों के समीपस्थ क्षेत्रों पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। यह दिल्ली प्रान्त में वर्ष 1941 में पुरःस्थापित और अभी तक क्रियाशील विधेयक समान पूर्वोपायों के आधार पर प्रतिरूपित किया गया है।

---

* यह अंश हिन्दी में अनुवादित है।
** ''रिबन विकास'' से तात्पर्य नगरों/कस्बों के बाहर सड़कों के किनारे–किनारे बसने वाली रैखिक बस्तियों से है।